भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2215
(09 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की बकाया राशि

2215 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य को मनरेगा के अंतर्गत सरकार की लगभग 600 करोड़ रुपये की देयताएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो फरवरी, 2024 और जून, 2024 के बीच लंबित देयताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और मजदूरी तथा सामग्री से संबंधित बकाया राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार को निधियां जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक जमा, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन आवधिक रूप से दो खेपों में निधियां जारी करता है , जिसमें प्रत्येक खेप में एक से अधिक किस्तें होती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए 7,332.63 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इसके अलावा, वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान (07.08.2024 की स्थित अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक आकस्मिकता के लिए 5876 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लंबित देनदारियां भी शामिल हैं।

आज की तिथि (07.08.2024) के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में कोई देयता लंबित नहीं है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग): राज्यों को निधियों के नियमित हस्तांतरण तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर निधियां जारी करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): सरकार ने निधियों का शीघ्र और समय पर अंतरण सुनिश्चित करने और उसकी निगरानी के लिये पीएफएमएस लागू किया है। यह प्रणाली वास्तविक समय में निधि प्रवाह की निगरानी में मदद करती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

ii. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है। यह देरी को कम करता है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है।

iii. निगरानी और समन्वय: निधि प्रवाह की निगरानी और किसी भी समस्या को तुरंत हल करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा और बैठकें आयोजित की जाती हैं।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर मजदूरी के यथासमय भुगतान में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का कार्यान्वयन। अब इसे सभी राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित कर दिया गया है।

(i i) मजदूरी का समय पर भुगतान , लंबित मुआवजा दावों का सत्यापन आदि सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श।

(i i i) मजदूरी के यथासमय भुगतान और विलंब हेतु मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार करना।

(i v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे पीएफएमएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विफल लेनदेन को समय पर पुनः सृजन तथा अमान्य खातों में सुधार सुनिश्चित करें।

(v) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को शीघ्र , सुरक्षित और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी, 2024 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य कर दिया गया है।

(vi) राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) के माध्यम से वास्तविक समय में उपस्थिति दर्ज करना।

****